

an>

Title: Regarding law and order situation in Uttar Pradesh.

**श्री केशव प्रसाद मोर्य (फूलपुर):** महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर ध्वस्त कानून व्यवस्था की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षद श्री शिवसेठ की हत्या कर दी गई। मेरे जनपद इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित जिला पंचायत की सदस्य के पति की 21 दिनों के अंदर हत्या कर दी गई।...**(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे जनपद में ही एक बाहुबली पूर्व सांसद ~~वे~~<sup>वे</sup>/<sub>\*</sub>ने कसासी-मसारी के अंदर बुलडोजर लेकर पुलिस और प्रशासन को धत्ता बताते हुए कई मकानों को ढहाने का काम किया।...**(व्यवधान)**

**माननीय अध्यक्ष :** किसी का नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

â€!(**व्यवधान**)

**श्री केशव प्रसाद मोर्य :** महोदया, इसकी जांच कराई गई और इस जांच के बाद भी दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती गई।...**(व्यवधान)** वहां सुरक्षा नहीं है। मैं सदन के माध्यम से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सप्ताह से ऐसी ही घटनाओं के विरोध में काशी में धरना दिया जा रहा है। एक सप्ताह हो गया है लेकिन एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी न होने का कारण है कि उन्हें प्रदेश सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है।...**(व्यवधान)**

**माननीय अध्यक्ष :** आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

â€!(**व्यवधान**)

**श्री केशव प्रसाद मोर्य :** महोदया, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। वहां छात्र संघ के कार्यक्रम का उद्घाटन था। वहां अन्य लोगों को आने से रोका गया था लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में वहां की पुलिस ने मुझे जाने से रोका। मैं अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं नहीं सुन सकता। मेरे विशेषाधिकारों का भी हनन किया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश का शासन जनहित विरोधी है और जनता की किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने, अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करता हूं।

**माननीय अध्यक्ष :**

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री केशव प्रसाद मोर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।